


क्रमांक : रा.इ.स.प्रौ.सं/चण्डीगढ़/प्रशासन-01/2018/4832

दिनांक 25.06.2018

मुख्यालय के ईमेल दिनांक 15.06.2018 द्वारा प्राप्त MeitY पत्र क्रमांक: सं 8(19)/2018- सा0स0अ0 दिनांक 08.06.2018 तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय (सीएस प्रभाग), नई दिल्ली का सलगन कार्यालय आदेश क्रमांक: No. 7/25/2012-एम एंड जी दिनांक 17.04.2018 आवश्यक सूचना हेतु प्रस्तुत है।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. निदेशक कार्यालय
2. अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी/प्रणाली)
3. अतिरिक्त निदेशक
4. वित्त नियंत्रक
5. सतर्कता अधिकारी
6. संयुक्त निदेशक ( तकनीकी /प्रणाली)
7. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
8. श्री गुरप्रीत सिंह – संयुक्त निदेशक (प्रणाली) वेबसाइट पर डालने हेतु
9. सूचना पट।

अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को भी सूचित करें।

सं. 8(19)/2018-सा.प्र.सं.३७०

भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली - 110 003

दिनांक 8/6/2018

विषय : भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते समय आभिव्यक्ति के रूप में  
" महामहिम " शब्दों का प्रचलन समाप्त करना ।

कृपया उपर्युक्त कथित विषय पर ~~गृह मंत्रालय~~ से प्राप्त दिनांक ~~17.3.18~~ <sup>7/6/18</sup> के पत्र संख्या  
~~7/25/2018~~ की प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

संलग्नक: यथोपरि

देवेन्द्र पाल  
(देवेन्द्र पाल) 8/6/18  
उप निदेशक

दूरभाष सं. 24301557

सेवा में,

- (i) सभी ग्रुप प्रमुख, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- (ii) महानिदेशक (एनआईसी)/महानिदेशक (एसटीक्यूसी)/सीईओ (यूआईडीएआई)/महानिदेशक (सर्ट-इन)/सीसीए।
- (iii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संगठनों के प्रमुख ।

सं. 7/25/2012-एम एंड जी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(सीएस प्रभाग)

Dy. No. 74905/O/o MoE&IT,L&J/2018

29/05/18

1/3

दूसरा तल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,  
इंडिया गेट, नई दिल्ली-110001  
दिनांक 18 अप्रैल, 2018

विषय: भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते समय अभिवादन के रूप में "महामहिम" शब्दों का प्रचलन समाप्त करना।

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 31 जनवरी, 2013 के समसंख्यक कार्यालय जापन (प्रति संलग्न) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से ऊपर उल्लिखित विषय पर तत्कालीन राष्ट्रपति का निर्णय सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों आदि के मुख्य सचिवों को कार्यान्वयन हेतु सूचित किया गया था। राष्ट्रपति सचिवालय ने इस संबंध में पुनःस्मरण करवाया है। यह आशा की जाती है/सलाह दी जाती है कि औपचारिक अवसरों के दौरान 'His Excellency' और उसके हिन्दी पर्याय 'महामहिम' शब्दों के उपयोग को समाप्त किया जाए तथा उनके स्थान पर "राष्ट्रपति महोदय" शब्दों का उपयोग किया जाए तथा हिन्दी में सरकारी टिप्पणियों में "राष्ट्रपति जी" का उपयोग किया जाए।

संलग्नक- यथोपरि

Office of JS(RK)

Dy. No. 74905

Dated. 29/5/18

डेनियल ई रिचर्ड्स

(डेनियल ई रिचर्ड्स)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी  
दूरभाष: 011-23075183

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. सभी केन्द्रीय मंत्रियों के निजी सचिवों सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री कार्यालय।
7. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय।
8. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय।
9. राज्य सभा सचिवालय/लोकसभा सचिवालय।
10. पब्लिक अनुभाग/प्रशासन-1/ प्रशासन-11/ प्रशासन-111 अनुभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी/सभी अनुभाग/डेस्क
12. अतिरिक्त प्रतियां-25

DRP

4/6

DD (P/O) 1/6

1/2 has been  
Plz. circulate  
to  
1) Secy (Mktg)  
2) Secy (LA)  
3) Secy (J)  
4) Secy (L) (P/O) (LAW) 2 APP (LAW)  
5) Secy (L) (P/O) (LAW) 2 APP (LAW)

769  
EC 04/06/18

DR Pen, JS (RK)  
Pl. circulate to ACS  
in inter dept  
DD (P/O) 1/6/18